नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक- **01**

# ORDER – SHEET (contd.)

| ... of order or Proceeding Necessar | Order or Proceeding with Signature of Presiding officer | Signature of Parties Pleader where Necessar |
|---|---|---|
| 13.07.2024 | | |

यह प्रकरण आज आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 को उभयपक्षों की सहमति से राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत मे आदेश हेतु रखा गया है।

परिवादी प्रोसेन जोत सश्री सरस्वती सोदिया अधिवक्ता उपस्थित।

**आरोपी** सुशील शिवरी श्री उमा मालिवाड़ी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण मे उभयपक्षों का राजीनामा आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य मे दिनांक 13.07.2024 को भरा जाकर उभयपक्षों का हस्ताक्षर करवाया, तथा उभयपक्षों की पहचान श्री सरस्वती सोदिया अधि0 के द्वारा की गयी है।

परिवादी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 138 पराकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त **धारा 138 पराकाम्य लिखत अधिनियम** का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय प्रकृति का अपराध है। आरोपी सुशील शिवरी की ओर से परिवादी प्रोसेन जोत को 5,00,000/– रूपये की राशि अदा कर दी गई है। उभयपक्ष को उपरोक्त अपराध धारा के संबंध राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्रकरण मे उभयपक्षों के द्वारा राजीनामा के परिप्रेक्ष्य मे आज पूछे जाने पर उनके द्वारा बिना डर, दबाव, प्रलोभन के राजीनामा करना बताया गया है। अतः उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रकरण मे संलग्न किया गया है जिसका मिलान उपस्थित परिवादी/आरोपी से किया गया।

प्रकरण मे **आरोपी** सुधीर तिवारी को **धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम** के अपराध मे राजीनामा के आधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है। आरोपी को जमानत मुचलका से उन्मुक्त किया जाता है।

अवार्ड की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्षों को निशुल्क प्रदान किया गया।

प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण समयावधि के भीतर रिकार्ड रूम जिला कोण्डागांव मे जमा करें

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

**हस्ताक्षर**

**सदस्य**

(कु. अंजली सिंह)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खण्ड पीठ क्रमांक–01
केशकाल जिला कोण्डागांव छ.ग.

LIST OF
Distingushing
Mark and number